उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-13/2020-21

लोबो मरण्डी

बनाम्

गंगाराम मरण्डी

–: आदेश :–

दिनांक

03/11/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता लोबो मरण्डी पे0–स्व0 मालू मरण्डी सा0–छोटा श्रीपुर अंचल–बोआरीजोर जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–23/2019–20 आदेश दिनांक–01.02.2020 के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–23/2019–20 आदेश दिनांक–01.02.2020 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत्त उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी पे0–स्व0 किशुन मरण्डी सा0–छोटी श्रीपुर अंचल, बोआरीजोर जिला–गोड्डा को मौजा छोटा श्रीपुर नं0–45 का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा छोटा श्रीपुर नं0–45 के पूर्व प्रधान मरांगमय हाँसदा पति–स्व0 रामजी मरण्डी थी। मौजा के पूर्व प्रधान की मृत्यु के बाद रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर पी0ए0 केश नं0–23/2019–20 प्रारम्भ किया गया। उसके बाद अपीलकर्त्ता उपस्थित हुए। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा पत्रांक–477/रा0 दिनांक–28.08.2019 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने गत प्रधान के चचेरा देवर के आधार पर उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी को मौजा छोटा श्रीपुर का प्रधान नियुक्त किया है, जो कि नियम संगत नहीं है। क्योंकि उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी बिल्कुल ही बाहरी है। उनका गत प्रधान के वंशावली से कोई सम्बंध नहीं है। उत्तरवादी को जिस वंशावली के आधार पर प्रधान नियुक्त किया गया है, वह वंशावली

ग्रामीणों के जानकारी के आधार पर दिया गया है। उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में किसी तरह का कोई वंशावली प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी पश्चिम बंगाल में बस गये है। वहाँ के मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची v के अनुसार उत्तरवादी प्रधानी पद के लिए योग्य नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन के साथ अपील के कालावधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत्त आवेदन दिया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा छोटा श्रीपुर के गत प्रधान मरांगमय हाँसदा पति–स्व0 रामजी मरण्डी थी। उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी गत प्रधान के चचेरा देवर है एवं गत प्रधान के चचरे देवर के आधार पर उत्तरवादी ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा गत प्रधान का वंशावली दर्शाते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं गत प्रधान का वारिश होने के नाते उत्तरवादी को मौजा छोटा श्रीपुर का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया। उक्त अनुशंसा के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश दिया गया। मौजा के सौलह आना रैयतों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी को मौजा छोटा श्रीपुर का प्रधान नियुक्त किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता लोबो मरण्डी ने भी उत्तराधिकारी के आधार पर दावा किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता गत प्रधान मरांगमय हाँसदा के वारिश के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा दिये गये वंशावली से भी स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता गत प्रधान के अन्तर्गत के वारिश नहीं है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा नियुक्ति के लिए सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के

अनुसूची v में निहित प्रावधान के तहत्त उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा छोटा श्रीपुर नं0–45 के गत प्रधान मरांगमय हाँसदा पति–स्व0 रामजी मरण्डी थी। निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी को गत प्रधान के चचेरा देवर के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत्त मौजा छोटा श्रीपुर का प्रधान नियुक्त किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता का कथन है कि उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी पश्चिम बंगाल में स्थायी रूप से बस गये है एवं उत्तरवादी का मौजा छोटा श्रीपुर में कोई निवास स्थान नहीं है। अपीलकर्त्ता ने साक्ष्य स्वरूप पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची का छाया प्रति दाखिल किया है। उक्त मतदाता सूची के अनुसार पश्चिम बंगाल के चाकुलिया विधान सभा क्षेत्र के भाग सं0–179 तारापुर के मतदाता सूची के क्रमांक 1092 में गंगाराम मरण्डी पिता–किशुन मरण्डी का नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का यह कथन सत्य प्रतीत है कि उत्तरवादी पश्चिम बंगाल में बस गये है। प्रधान नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची v में विहित्त नियम के अनुसार प्रधान का उस मौजा में या मौजा से एक मील के अंदर में निवास स्थान होना चाहिए। उक्त नियमावली में विहित्त नियम के अनुसार उत्तरवादी गंगाराम मरण्डी को उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–23/2019–20 आदेश दिनांक–01.02.2020 को निरस्त किया जाता है एवं मूल अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रति प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि गत प्रधान के Next heir, जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची v के अनुसार योग्य हो, मौजा छोटा श्रीपुर का प्रधान नियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:27:16 +05:30
Location: 192.168.29.8

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

RJ